प्रेषक,

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–बागपत।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, बागपत।

पत्रांकः SPMU/MH/Supp. Sup./Baghpat/2019-20/ 10414(2) दिनांकः 18.03.2020

विषयः राज्य स्तर की टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम. एण्ड ई. / 2019–20 / 18 / 3883–2 दिनांक 30.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 03–07 फरवरी 2020 तक जनपद बागपत का भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
18/03/2020
(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

पत्रांकः SPMU/MH/Supp. Sup./Baghpat/2019-20/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., बागपत।

(डा0 अशोक कुमार पालीवाल)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

Scanned with CamScanner

जनपद बागपत की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट
दिनांक : 03–07 फरवरी 2020

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 से 02 सदस्यीय भ्रमण टीम डा0 रईस अहमद, कन्सल्टेंट, एम.एच., श्री दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद बागपत की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 03–07 फरवरी 2020 को किया गया है। बिन्दुवार भौतिक एवं वित्तीय आख्या निम्नवत है–

जिला महिला अस्पताल बागपत (एम.सी.एच. विंग)–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	एम.सी.एच. विंग स्थित लेबर रुम– • लेबर रुम अत्यन्त गन्दा था। • एम.सी.एच. विंग में लगे हुए वाटरकूलर के पास सीवरेज के चोक होने की समस्या से पानी भरा हुआ था जिससे मरीजों एवं तीमारदारों को समस्या आ रही थी। • लेबर रुम मे निर्धारित प्रारुप पर रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। उपलब्ध रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर आदि सूचनाओं का अंकन पूर्ण रुप से नहीं किया जा रहा था। • पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती मरीजों के तिमारदारों द्वारा टीम को अवगत कराया गया कि लेबर रुम के कतिपय स्टाफ द्वारा उनसे धनराशि की मांग की जाती है।	निम्न सुझाव दिये गये • लेबर रुम की नियमित सफाई सुनिश्चित करने एवं सीवरेज के चोक होने की समस्या को सही कराये जाने का सुझाव दिया गया। • 7 ट्रे मानकानुसार व्यवस्थित किया जाए एवं कैलिस पैड का उपयोग किया जाए • निर्धारित प्रारुप पर लेबर रुम रजिस्टर तैयार किए जाने एवं समस्त विवरण दर्ज किए जाने का सुझाव दिया गया। • लेबर रुम में कार्यरत स्टाफ नर्स को मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से पत्र निर्गत कराया गया कि भविष्य में शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी।	सी.एम.एस. एवं लेबर रुम स्टाफ
2	टीम को अवगत कराया गया कि एम.सी.एच. विंग में 01 मात्र एनेस्थेटिस्ट है जिससे सीजर प्रसव कम हो पा रहे है।	मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक में चर्चा कर 01 और एनेस्थेटिस्ट तैनात किए जाने सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सी.एम.एस.
3	वर्ष 2019–20 में अब तक कुल प्रसव 487 में से 215 को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान लम्बित पाया गया।	अवशेष सभी लाभार्थियों के खातों में जननी सुरक्षा योजना की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त करने एवं भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., हास्पिटल मैनेजर एवं डी.पी.एम.
4	जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारुप पर नही पाया गया एवं मरीजों को मीनू के	रजिस्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार किये जाने एवं लाभार्थियों को मीनू के अनुसार	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर

Scanned with CamScanner

	अनुसार ताजा गर्म भोजन दिया जाना नहीं पाया गया।	ताजा गर्म भोजन दिये जाने का सुझाव दिया गया।	
5	एम.सी.एच. कार्ड में आर.सी.एच. नम्बर का अंकन किया जाना नहीं पाया गया।	कार्डों में आर.सी.एच. नम्बर भरे जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर
6	अस्पताल परिसर अत्यन्त गन्दा पाया गया।	नियमित सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर
7	बायो–वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो–वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर
8	अस्पताल में एम्बुलेसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलबध कराने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., एवं हास्पिटल मैनेजर

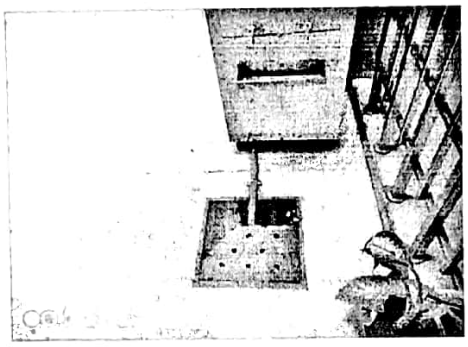

एम.सी.एच. विंग में लगे वाटर कूलर के पास जल भराव

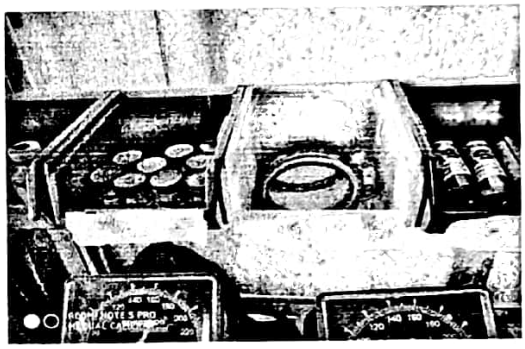

एम.सी.एच. विंग में लेबर रूम में अव्यवस्थित ड्रग्स

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौधरान पट्टी, बागपत–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	यू.पी.एस.सी. के प्रवेश द्वार के बगल में कूडें का ढेर लगा हुआ पाया गया।	सम्बन्धित विभाग/नगर पालिका से समन्वय स्थापित कर नियमित सफाई सुनिश्चित का सुझाव दिया गया।	अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, एम. ओ.आई.सी, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
2	यू.पी.एस.सी. में प्रसव कक्ष अत्यन्त गन्दा पाया गया। प्रसव कक्ष को ही कर्टेन से डिवाइड करके स्टाफ के बैठने के उपयोग में भी लाया जा रहा था।	अलग प्रसव कक्ष की व्यवस्था कराये जाने एवं नियमित सफाई सुनिश्चित का सुझाव दिया गया।	एम.ओ.आई.सी, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
3	यू.पी.एस.सी. में वर्ष 2019–20 में अब तक लगभग 100 प्रसव कराये गये हैं जिनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रसव रजिस्टर आदि मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए गये।	लाभार्थियों को जे.एस.वाई का लाभ सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।	एम.ओ.आई.सी, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
4	बायो–वेस्ट निस्तारण से सम्बन्धित रजिस्टर में सामाग्री के जाने का विवरण तो दर्ज किया जा रहा था किन्तु	निर्धारित प्रारुप मे रजिस्टर तैयार कराये का सुझाव दिया गया।	एम.ओ.आई.सी, एवं सम्बन्धित स्टाफ

Scanned with CamScanner

	एजेन्सी जो सामग्री दे रही थी उसका विवरण दर्ज नहीं पाया गया।		

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रवेश द्वार के पास लगा कूड़े का ढ़ेर

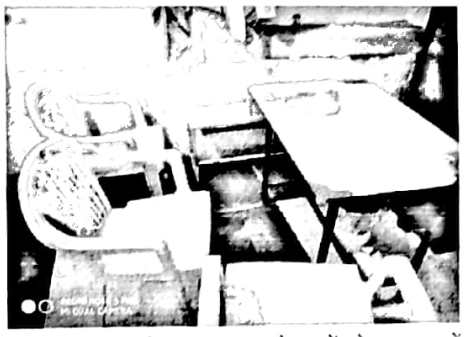

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लेबर रुम में ही स्टाफ के बैठने की व्यवस्था

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडौत–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	वर्ष 2019–20 में माह जुलाई तक कुल प्रसव 427 में से 414 को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान लम्बित पाया गया।	जे.एस.वाई. लाभार्थियों को भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाये रखने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
2	लेबर रुम में– • लेबर रुम एवं वाशरुम गन्दा एवं अव्यवस्थित पाया गया • प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गये • विद्युत की वायरिंग अव्यवस्थित पायी गयी • डिजिटल घडी नहीं थी • हब कटर खराब था • लेबर टेबल अव्यवस्थित थी एवं जंग लगे हुए फुट स्टैण्ड प्रयोग में लाये जा रहे थे	प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
3	लेबर रुम रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे थे।	समस्त सूचनाएं भरे जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
4	ए.एन.सी. एवं पी.एन.सी. वार्ड में जे.एस. एस.के. के अन्तर्गत भोजन के मीनू का दीवाल लेखन गाइडलाइन के अनुसार नहीं पाया गया।	भोजन के मीनू का गाइडलाइन के अनुसार दीवाल लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
5	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी. पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर. सी.एच. नम्बर आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
6	सी.एच.सी. में अंकित ई.डी.एल. अद्यतन नहीं पायी गयी।	ई.डी.एल. को अद्यतन अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी. पी.एम.
7	अस्पताल में एम्बुलेसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने	अधीक्षक एवं बी. पी.एम.

Scanned with CamScanner

	उपलब्ध नहीं पाये गये।	एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलबध कराने का सुझाव दिया गया।	
8	अस्पताल परिसर में 102 एन.ए.एस. की एम्बुलेंस संख्या यू.पी. 41 जी 1841 का अवलोकन किया गया– • चेकलिस्ट के अनुसार बी.पी. मशीन (एडल्ट एवं पेडियाट्रिक), डिजिटल थर्मामीटर, फायर एक्सटिंग्युशर एव ए.सी. सहित कुल 20 उपकरण क्रियाशील नहीं पाये गये। • चेकलिस्ट के अनुसार बेटाडीन, काटन रोल्स, एढेसिव टेप सहित कुल 11 कन्ज्युमेबिल्स/दवाएं उपलब्ध नहीं पाये गये।	एम्बुलेंस सेवा के नोडल ए.सी.एम.ओ. एवं डी.पी.एम. को अवगत कराया गया एवं सेवाप्रदाता के प्रतिनिधि के माध्यम से एम्बुलेंस के समस्त उपकरण एक सप्ताह में क्रियाशील कराने हेतु सुझाव दिया गया।	एम्बुलेंस सेवा के नोडल ए.सी.एम.ओ. एवं डी.पी.एम. एवं जनपद प्रतिनिधि जी.वी.के.– ई.एम.आर.आई.
09	बायो–वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो–वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.पी.एम.
10	सी.एच.सी. बडौत के अन्तर्गत 40 उपकेन्द्रों में से 08 उपकेन्द्रों में अनटाइड फण्ड का व्यय विवरण शून्य पाया गया	कार्ययोजना बनाकर धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.सी.पी.एम.
11	सी.एच.सी. बडौत के अन्तर्गत 45 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों में से 22 वी.एच.एस.एन.सी. में धनराशि का व्यय विवरण शून्य पाया गया	कार्ययोजना बनाकर धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.सी.पी.एम.

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलाना, लेखा अभिलेखों एवं अन्य बिन्दुओं की आख्या निम्नवत है:–

क. सं.	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कार्यवाही जो की जानी है।	कार्यवाही का स्तर
1	रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018–19 का ऑडिट नही कराया गया है।	रोगी कल्याण समिति वर्ष 2018–19 का ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया।	अधीक्षक एवं ब्लाक लेखा प्रबंधक
2	अकाउंटेंट द्वारा किसी भी माह का बैंक समाधान स्टेटमेंट नहीं बनाया गया है।	प्रति माह बैंक समाधान स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए।	
3	निरीक्षण के दौरान जनरेटर की लॉग बुक नहीं उपलब्ध कराई गई।	जनरेटर की लॉग बुक प्रतिदिन पूर्ण कर एवं सम्बंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
4	एडवांस रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	एडवांस रजिस्टर शीघ्र अतिशीघ्र बनाना सुनिश्चित करे ।	
5	रोगी कल्याण समिति के वाउचर्स का रख–रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है।	रोगी कल्याण समिति के वाउचर्स का रख–रखाव उचित ढ़ंग से किया जाना चाहिए।	

Scanned with CamScanner

6	सी.एच.सी. में कार्यरत बी.सी.पी.एम. को सपोर्टिव सुपरविजन की कम्युनिटी चेकलिस्ट को भरे जाने की अपेक्षित जानकारी नहीं थी	समस्त सम्बन्धित स्टाफ का सपोर्टिव सुपरविजन की फैसिलिटी एवं कम्युनिटी चेकलिस्ट पर ओरिएण्टेशन कराये जाने का सुझाव दिया गया	डी.पी.एम., . अधीक्षक एवं ए.सी.एम.ओ.
7	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर.सी.एच. नम्बर आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
8	सी.एच.सी. पिलाना के अन्तर्गत 28 उपकेन्द्रों में से 05 उपकेन्द्रों में अनटाइड फण्ड का व्यय विवरण शून्य पाया गया	कार्ययोजना बनाकर धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.सी.पी.एम.
9	सी.एच.सी. पिलाना के अन्तर्गत 46 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों में से 11 वी.एच.एस.एन.सी. में धनराशि का व्यय विवरण शून्य पाया गया	कार्ययोजना बनाकर धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी.सी.पी.एम.

सी.एच.सी. स्थित लेबर रूम में अव्यवस्थित लेबर टेबल एवं जंग लगे फुट स्टैण्ड

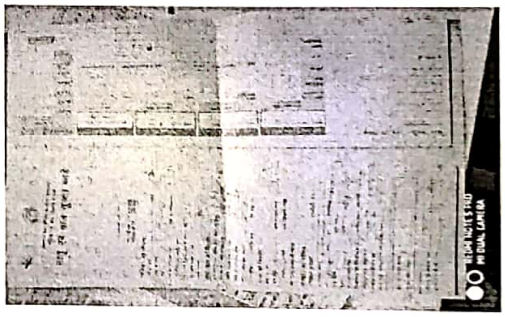

लाभार्थियों को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में अपूर्ण सूचनाओं का अंकन

वी.एच.एन.डी. सत्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलाना के सैहडभर उपकेन्द्र के अन्तर्गत ग्राम सैहडभर में आयोजित हो रहे ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अनुश्रवण किया गया। सत्र में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये–

- ए0एन0एम0 श्रीमती पवित्रा रानी द्वारा आशा एवं आंगनबाडी के साथ सत्र का आयोजन किया जा रहा था। सत्र स्थल पर बैनर लगा हुआ था।
- टीकाकरण ड्यू लिस्ट के अनुसार किया जा रहा था। आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं, 0–02 वर्ष तक के बच्चों तथा योग्य दंपत्तियों की आवश्यकतानुसार सेवाओं हेतु सूची बनायी गयी थी। आशा द्वारा लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर लाने हेतु प्रेरित किया जा रहा था।
- आशा कार्यकत्री को संचालित योजनाओं की अपेक्षित जानकारी कम थी जिससे समुदाय में गृहभ्रमण में प्रेरित किये जाने में समस्या आ रही थी। सत्र में टीम के साथ उपस्थित बी.सी.पी.एम. को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आशाओं की जानकारी अपडेट/बढाने हेतु ओरिएण्टेशन कराने का सुझाव दिया गया।
- सत्र स्थल पर बी.पी. मशीन, स्टेथेस्कोप, वेटिंग मशीन द्वारा गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जा रहा था।
- आंगनबाडी द्वारा पूर्व में चिन्हित कुपोषित बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट/मातृ–शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित नहीं किया जा रहा था।
- लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण किया जाना नहीं पाया गया।

Scanned with CamScanner

- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के बैठक रजिस्टर एवं बैंक पासबुक आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।

जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डी.पी.एम., डी.सी.पी.एम. एवं जनपद के अन्य स्वास्थ्य कार्यकक्रमों के कन्सल्टेंट्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सा इकाइयों के भ्रमण के सम्बंध में फीडबैक दिया गया–

- जनपद में एन.यू.एच.एम. की गतिविधियों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कार्यक्रम एन.एल.ई.पी. के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष लगभग 23 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया है। सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।
- शासनादेश दिनांक 08.10.2018 के क्रम में एम्बुलेंस वाहनों के भौतिक सत्यापन किये जाने की जो मासिक आख्या जनपद बागपत से राज्य स्तर को माह अगस्त 2019 के उपरांत प्रेषित नहीं जा रही थी। लम्बित भौतिक सत्यापन मासिक रिपोर्ट राज्य स्तर को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत भोजन के मद में जनपद में डिलिवरी लोड के सापेक्ष अधिक व्यय किये जाने के सम्बंध में बैठक में अवगत कराया गया। भौतिक प्रगति के सापेक्ष नियमानुसार व्यय किये जाने एवं लाभार्थियों को को मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ब्लाक स्तर से भरी जाने वाली फैसिलिटी एवं कम्युनिटी की चेकलिस्ट की स्थिति की समीक्षा की गयी–

➢ लक्ष्य के अनुरुप कम सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेकलिस्ट भरने वाले ब्लाकों को सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया।

➢ भ्रमण में पाया गया कि सी.एच.सी. पिलाना में कार्यरत बी.सी.पी.एम. को सपोर्टिव सुपरविजन की कम्युनिटी चेकलिस्ट को भरे जाने की अपेक्षित जानकारी नहीं थी। अनुरोध किया गया कि जनपद स्तर पर एक बार समस्त सम्बन्धित स्टाफ का सपोर्टिव सुपरविजन की फैसिलिटी एवं कम्युनिटी चेकलिस्ट पर ओरिएण्टेशन कराया जाए।

- भ्रमण के दौरान ब्लाक स्तर पर उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण अद्यतन नहीं पाया गया। सुझाव दिया गया कि सभी ब्लाकों में उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण अपडेट किया जाए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक

(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

(डा0 रईस अहमद)
कन्सल्टेंट, एम.एच.
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

Scanned with CamScanner